(अंकः सत्रह) अप्रैल-अक्टूबर, 2010

ISSN 0973-4201

समाज वैज्ञानिकी

भारतीय समाज विज्ञान परिषद्
की मुख्य शोध-पत्रिका

इस अंक के शोध पत्र

01.	डॉ. विनोद कुमार रस्तोगी	जलवायु परिवर्तन और संपोषक विकासः भारतीय संदर्भ	01 - 12
02.	डॉ. (श्रीमती) सुचित्रा शर्मा	ग्रामीण शिक्षा एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका	13 - 25
03.	प्रो. जे.पी. पचौरी एवं डॉ. सुषमा नयाल	हिन्दू विवाह के उद्देश्यों के प्रति शिक्षित युवतियों	26 - 34
04.	राजेश्वर सिंह	मानवाधिकार संरक्षण में बाधक अपराधियों का	35 - 43
05.	डॉ. (श्रीमती) विमलेश अग्रवाल	सामाजिक परिपेक्ष्य में दहेज की समस्या	44 - 53
06.	डॉ. अंजनी कुमार श्रीवास्तव	वृद्धजनों का परिवार में अभियोजन एवं तनाव	54 - 68
07.	डॉ. कल्पना गुहा	जनजातीय धर्म	69 - 74
08.	डॉ. रीता जायसवाल	सूचना प्रौद्योगिकी और जनसहभागिता	75 - 81
09.	दीप्ति श्रीवास्तव	एड्स नियंत्रण : एक समाजशास्त्रीय पहल	82 - 88
10.	डॉ. सुषमा श्रीवास्तव एवं नीतू सिंह सोलंकी	दहेज प्रथा के प्रति युवा वर्ग का दृष्टिकोण	89 - 99
11.	डॉ. रंजना श्रीवास्तव	मध्यप्रदेश में जल प्रदूषण एवं जल संरक्षण : एक ...	100 - 106
12.	डॉ. एम.के. पाण्डेय	मानव अधिकार दशा ...	107 - 113
13.	डॉ. माधवी अग्निहोत्री एवं डॉ. संगीता अग्रवाल	असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत बालश्रमिकों की समस्यायें	114 - 121

न और संपोषक य संदर्भ	01 - 12
वं गैर सरकारी का	13 - 25
द्देश्यों के तियों	26 - 34
रक्षण में बाधक	35 - 43
श्य में ा	44 - 53
वार में तनाव	54 - 68
	69 - 74
ी और	75 - 81
ष्क हल	82 - 88
ते युवा	89 - 99
प्रदूषण एवं ठ ...	100 - 106
दशा ...	107 - 113
ं कार्यरत समस्यायें	114 - 121

14.	डॉ. उमेश कुमार दुबे एवं डॉ. मनीष खरे	**राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाः निष्कर्ष एवं सुझाव**	122 - 128
15.	डॉ. निर्मला दुबे	**आतंकवाद एवं भारतीय अर्थव्यवस्थाःएक विश्लेषण**	129 - 134
16.	डॉ. श्रीमती कमलजीत श्रीवास्तव एवं डॉ. उदयशंकर श्रीवास्तव	**वैश्विक मंदी का सामाजिक प्रभाव...**	135 - 139
17.	डॉ. रचना श्रीवास्तव एवं प्रो.(श्रीमती) भारती मालपाणी	**मौलिक अधिकारों के प्रति जागरुकता**	140 - 147
18.	डॉ. पूनम मिश्रा	**दिल्ली सुल्तानों की साम्राज्य विस्तार की ......**	148 - 158
19.	डॉ. सी.पी. तिवारी एवं राजीव कुमार मिश्र	**अमरकंटक पर्यटन स्थल के प्राकृतिक पर्यटन ....**	159 - 164
20.	डॉ. नवीन कुमार	**सहभागी लोकतंत्र**	165 - 171
21.	डॉ. दिनेशचन्द्र उपाध्याय	**महिला सशक्तीकरण-विधिक परिप्रेक्ष्य ....**	172 - 178
22.	कान्फ्रेंस एवं सेमीनार की जानकारी		179

◆◆◆◆

भूल सुधार

- समाज वैज्ञानिकी के अंक १६ मार्च, २०१० में पेज क्रमांक १११-११७ में छपे शोध पत्र के लेखक डॉ. टी.व्ही. नरसिम्हम् हैं।
- डा. तारा शर्मा, समाजशास्त्र विभाग, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा में पदस्थ है, न कि कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा में।

भारतीय ग्रामीण शिक्षा का चित्र बेहद चिन्ताजनक है। इतने दशक बीत जाने के बाद भी शिक्षा नीति निर्देशक तत्वों का ही हिस्सा है, वह मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आ पाया है। शिक्षा के मामले में सबसे बड़ी अशिक्षित जनता भी यही निवास करती है। यू.एन.डी.पी. की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ३ करोड़ ५० लाख बच्चे अभी भी स्कूलों से बाहर हैं, जिनमें २ तिहाई लड़कियाँ हैं। छप्पर विहीन विद्यालय, गड्ढों में परिवर्तित स्कूलों की जमीन (फर्श) मिट्टी और धूल में पढ़ते छात्र, शिक्षकों की उदासीनता, ग्रामीण जनता की अज्ञानता और अजागरूकता इसके जीते जागते नमूने हैं।

गाँव का पिछड़ापन, गरीबी, अल्प उत्पादकता, रूढ़ियों का समूल नाश तथा जनजागृति केवल शिक्षा से ही संभव है। यही वह प्रक्रिया है, जो चरित्र की आन्तरिक क्षमताओं का विकास करके व्यक्तित्व को परिपूर्ण बनाती है। **उपाध्याय विमला (२००८) पाठक (२००८) श्रीवास्तव (२००८) अखिलेश आर्येन्दु (२००७) प्रांजलधर (२००७) श्रीवास्तव (२००७) पंत नवीन (२००७) तिवारी (२००७) इन्दुलिया राशि (२००३) श्रीवास्तव सुदीप (२००४) यादव (१९९७) ऋतुराज चौहान (२००८)** आदि के अध्ययन एवं आलेख ग्रामीण विकास के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार की सोच विकसित करने पर बल देते हैं, जिससे उनमें जीविका अर्जित करने की क्षमता उत्पन्न हो, ताकि ग्रामीण शिक्षित होकर अपनी सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा सुनिश्चित कर सकें।

शिक्षा का आर्थिक विकास से वैसा ही नाता है, जैसे दूध का उजलेपन से और मछली का जल से। स्व. इंदिरा गाँधी ने भी कहा था-शिक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक है। स्पष्ट है कि व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा प्राथमिक आवश्यकता है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति में विकास हेतु कई प्रयास किये जा रहे हैं। मिड डे मील योजना (१९९५), प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, जो केन्द्र द्वारा समर्थित है। सर्वशिक्षा अभियान (२०००), केन्द्र प्रायोजित योजना माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (१९९४) आदि योजनाएँ सरकारी अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। इस दिशा में उनके साथ गैर सरकारी संगठन भी भागीदारी दे रहे है।

गैर सरकारी संगठन

गैर सरकारी संगठन विकास के विकल्पात्मक उत्प्रेरक के रूप में मान्य हैं। डेविड सिल्स [२] ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है-गैर सरकारी संगठन बिना किसी राज्य हस्तक्षेप के अपने सदस्यों की सामान्य हितों की उन्नति के लिए, ऐच्छिक सदस्यता के आधार पर व्यक्तियों का संगठित समूह होता है। वस्तुत: गैर सरकारी संगठन सरकार एवं समुदाय के बीच मध्यस्थता पर उत्प्रेरक की

भूमिका निभा रहे हैं। **बकलैंड जैरी (१९९५), निरजंन पंत (१९९४)** ने अपने अध्ययनों में इस बात की पुष्टि की है। पिछले एक डेढ़ दशक में इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। सिविल सोसायटी के महत्वपूर्ण घटक के रूप में इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। सिविल सोसायटी के महत्वपूर्ण घटक के रूप में इनकी उपस्थिति हर कहीं दर्ज की जा रही है। **स्नेहलता चंद्रा (२००१), गोयल और कुमार (२००४), पवार (२००४), गुप्ता (२००६), वीरेन्द्र पामेचा (२००७), करालें (२००८)** आदि ने अपने अध्ययनों में पाया कि देश के विकास में गैर सरकारी संगठनों ने अपनी भागीदारी से महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी गैर सरकारी संगठनों की संख्या में तेजी से विस्तार हुआ है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने भी ग्रामीणों के मूलभूत क्षेत्रों में कार्य करने के लिए इन संगठनों की उपयोगिता को स्वीकार किया है और कहा है कि स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका शासन के कार्यों के पूरक के रूप में होती है और दोनों के मिले जुले प्रयासों से ही समाज और देश के कल्याण से संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है।[3]

शिक्षा तथा गैर सरकारी संगठन -

यूनेस्को के तत्वावधान में १९९० में जेमिटियेन नामक स्थान पर विश्व परिषद का आयोजन हुआ जिसका ध्येय था सभी के लिए शिक्षा। जिसके बाद पिछले दशक में विभिन्न राज्यों में कई नवीन योजनाओं का सूत्रपात हुआ। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति, अंशकालिक स्कूलों की स्थापना, शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कि जनता के लिए मूलभूत शिक्षा को मौलिक अधिकारों में रखा गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन की योजना में इस्कान की गैर सरकारी संस्था को कर्नाटक सरकार ने योजना क्रियान्वयन के लिए चुना है। हैदराबाद में नंदी फाउण्डेशन ने इस कार्य हेतु विशाल रसोई घर बनाया है। शाला त्यागी बच्चों की रोक हेतु, सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा गारंटी योजना, आंगनबाड़ी केन्द्र के आयोजन के माध्यम से शैक्षणिक क्षेत्रों में जागरूकता वृद्धि हेतु प्रयास किये गये। अकेले सरकार के प्रयत्नों से यह काम पूरा होना संभव नहीं है, अत: अन्य संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों की सहायता लेना आवश्यक समझा गया है।

राममूर्ति रिपोर्ट (१९९०) में इन संस्थाओं के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (१९९२) के संशोधित पैरा ४:११ में सम्पूर्ण राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के लिए नियोक्ताओं (केन्द्र व केन्द्र सरकार) के साथ स्वैच्छिक संगठनों की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया है, ऐसी सेवायें देने के लिए इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित राज्य स्तर के स्त्रोत केन्द्र (SCR) सारे देश में कार्यरत हैं।

अध्ययन का उद्देश्य -

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण शक्षा के संबंध में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है इनकी भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा में क्या परिवर्तन किये जा सकते हैं तथा शिक्षा संबंधी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लक्ष्य पूरे किये जा सकते हैं। इससे संबंधित तथ्यों को शोधपरक आधारों पर अध्ययन पर निष्कर्ष निकाला गया।

शोध पद्धति -

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले का चयन किया गया जो ११ तहसील एवं १२ विकासखण्डों में विभाजित है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है -

तालिका १.१

दुर्ग जिले के तहसील एवं विकासखण्ड

क्रमांक	अनुविभाग	तहसील	विकासखण्ड
1.	बालोद	(1) बालोद (2) गुरूर	(1) बालोद (2) डौडी (2) गुरूर
2.	बेमेतरा	(1) बेमेतरा (2) नवागढ़	(1) बेमेतरा (2) नवागढ़
3.	डौंडी लोहारा	(1) डौंडी लोहारा	(1) डौंडी लोहरा
4.	दुर्ग	(1) दुर्ग (2) धमधा	(1) दुर्ग (2) धमधा
5.	पाटन	(1) पाटन (2) गुण्डरदेही	(1) पाटन (2) गुण्डरदेही
6.	साजा	(1) साजा (2) बेरला	(1) साजा (2) बेरला

स्रोतः कदमः शतायु दुर्ग १९०६-२००६ जिला प्रशासन दुर्ग पेज नं. १९

प्रस्तुत शोध ग्रामीण विकास के परिपेक्ष्य में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को जानने हेतु वैज्ञानिक अध्ययन है, अत: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दो विकास खण्ड में से एक-एक गाँव का चयन उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया है। दुर्ग जिले के दो विकासखण्ड प्रथम-डौंडी ब्लाक का खैरवाही गाँव, जिसमें गैर सरकारी संगठनों द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। द्वितीय डौंडी लोहारा का गाँव किल्लेकोड़ा जिसमें इन संगठनों द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उनमें से १५०-१५० उत्तरदाताओं का हितग्राही (जो लाभान्वित है) तथा अहितग्राही (जो एन.जी.ओ. द्वारा लाभान्वित नहीं हैं) के रूप में चयन किया गया है।

तथ्य संकलन -

यह अध्ययन प्राथमिक तथ्यों के संकलन पर आधारित है, जिसके लिये साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। अध्ययन में दोनों ही प्रकार के स्त्रोतों की सहायता ली गई। आवश्यकतानुसार द्वितीयक आकड़ों का भी प्रयोग किया गया। विषय से संबंधित तथ्य जैसे गैर सरकारी संगठन द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रमों और उनके क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर अध्ययन क्षेत्र में रहकर अवलोकन किया गया जिससे उनकी कार्यप्रणाली को नज़दीक से जानने का अवसर मिला।

तथ्यों का विश्लेषण -

प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं से शिक्षा से संबंधित तथ्यों के बारे में गैर सरकारी संगठनों द्वारा किये गये कार्यों के संबंध में राय ली गई है। ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति को जानने से पूर्व उत्तरदाताओं से शिक्षा के अर्थ के बारे में पूछा गया तो उनमें भ्रम की स्थिति परिलक्षित हुई।

तालिका १.२

शिक्षा का अर्थ

क्र.	अर्थ	हितग्राही		अहितग्राही	
		आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत
1.	अक्षरज्ञान (साक्षरता)	34	22.67	20	13.33
2.	उपाधि (डिग्री)	98	65.53	90	60.00
3.	नहीं मालूम	08	05.33	40	26.67
	योग	150	100.00	150	100.00

उत्तरदाताओं से शिक्षा से आप क्या अर्थ समझते हैं, पूछने पर ५.३३ प्रतिशत हितग्राही तथा २६.६७ प्रतिशत अहितग्राहियों ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। ६५.३३ प्रतिशत हितग्राही तथा ६० प्रतिशत अहितग्राहियों ने उपाधि अर्थात डिग्री हासिल करने तथा शेष २२.६७ प्रतिशत हितग्राही और १३.३३ प्रतिशत अहितग्राही उत्तरदाताओं ने अक्षर ज्ञान अर्थात साक्षर होना को शिक्षा के अर्थ के रूप में स्वीकार किया।

तथ्यों के विश्लेषण तथा क्षेत्रीय अवलोकन से शोधकर्ता ने पाया कि गाँव में शिक्षा का स्तर सामान्य है, तथा जागरूकता की कमी स्पष्ट होती है। एशियन ड्रामा में गुन्नार मिर्डल[५] ने लिखा है आत्म जागरूकता से ही गरीबी मिटती है, जिसकी तैयारी प्राथमिक शिक्षा से ही जो सकती है।

ासके लिये साक्षात्कार अनुसूची
ता ली गई। आवश्यकतानुसार
जैसे गैर सरकारी संगठन द्वारा
पर अध्ययन क्षेत्र में रहकर
ानने का अवसर मिला।

के बारे में गैर सरकारी संगठनों
में शिक्षा की स्थिति को जानने
श्रम की स्थिति परिलक्षित हुई।

अहितग्राही	
आवृति	प्रतिशत
20	13.33
90	60.00
40	26.67
150	100.00

पर ५.३३ प्रतिशत हितग्राही
। ६५.३३ प्रतिशत हितग्राही
तथा शेष २२.६७ प्रतिशत
अर्थात साक्षर होना को शिक्षा

पाया कि गाँव में शिक्षा का
ा में गुन्नार मिर्डल[४] ने लिखा
शिक्षा से ही जो सकती है।

विकास के संदर्भ में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण -

शिक्षा समाज और विकास एक दूसरे से अंर्तसंबंधित है, जिसका प्रभाव समाज पर मानसिक परिवर्तन के रूप में दृष्टिगोचर होता है। उत्तरदाताओं से निम्न बिन्दुओं पर उनके दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया गया, जिन्हें तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

तालिका १.३

विकास के संदर्भ में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

क्र.	दृष्टिकोण	हितग्राही		अहितग्राही	
		आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत
1.	गाँव के विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है	90	63.38	56	50.91
2.	समस्याओं को समझने और उनके निराकरण में सहायक है।	05	03.52	07	06.36
3.	शिक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक हैं।	17	11.97	20	18.18
4.	जागरूकता निर्माण में शिक्षा एक कारक है।	12	08.45	13	11.82
5.	व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है।	18	12.68	14	12.73
	योग	15142	100.00	100.00	100.00

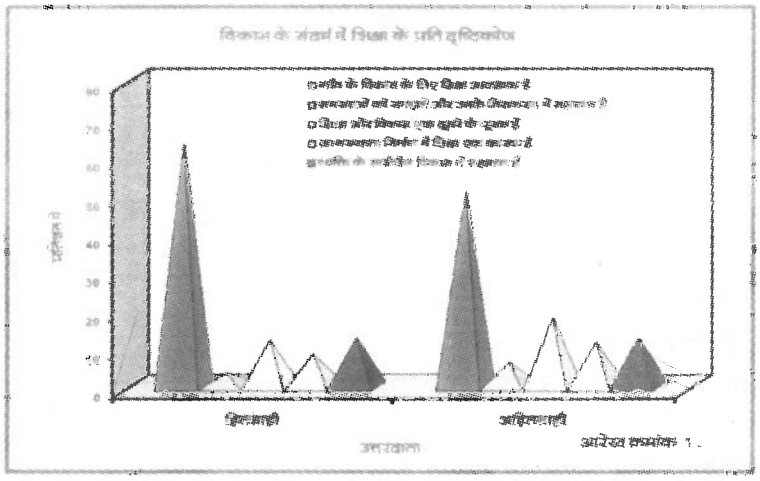

तालिका ३ के आंकड़े उत्तरदाताओं की विकास में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण को इंगित करते हैं, जो शोधकर्ता द्वारा शिक्षा और साक्षरता के अंतर को समझाने पर स्पष्ट कर पाये। कुल ९४.६७ प्रतिशत हितग्राही तथा ७३.३३ प्रतिशत अहितग्राही उत्तरदाताओं ने उपरोक्त बिन्दुओं पर अपनी राय

व्यक्त की। शेष अशिक्षित होने के कारण अपने मत को स्पष्ट नहीं कर पाये। अधिकांश ६३.३८ प्रतिशत हितग्राही तथा ५०.९१ प्रतिशत अहितग्राही उत्तरदाताओं ने गाँव के विकास में शिक्षा को आवश्यक मानते हुए सहमति दी।

शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इस पर १२.६८ प्रतिशत हितग्राहियों तथा १२.७३ प्रतिशत अहिग्राहियों ने अपनी सहमति व्यक्त की। मालवीया[8] ने अपने अध्ययन में इस बात को पुष्ट किया है। इस संबंध में गांधी जी ने भी कहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर मन और आत्मा के गुणों का सर्वांगीण विकास करना है।

११.९७ प्रतिशत हितग्राही तथा १८.१८ प्रतिशत अहितग्राही उत्तरदाताओं ने शिक्षा और विकास को एक दूसरे का पूरक माना है। शिक्षा जागरूकता निर्माण में कारक है, इस पर ८.४५ प्रतिशत हितग्राही तथा ११.८२ प्रतिशत अहितग्राही उत्तरदाताओं ने अपनी सहमति व्यक्त की। शेष ३.५२ प्रतिशत हितग्राही तथा ६.३६ प्रतिशत अहितग्राहियों ने कहा की शिक्ष जीवन की समस्याओं को समझने और निराकरण में सहायक होती हैं।

विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है, कि अधिकांश उत्तरदाताओं में शिक्षा के प्रति सकारात्मक रूझान है, और वे इसके महत्व से परिचित हैं। यद्यपि स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में उतने सक्षम नहीं है।

तालिका १.४

शिक्षा से लाभ

क्र.	अर्थ	हितग्राही		अहितग्राही	
		आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत
1.	सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि	33	22.00	23	15.33
2.	निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता में विकास	47	31.33	43	28.67
3.	जागरूकता में वृद्धि	62	41.33	50	33.33
4.	कोई विशेष लाभ नहीं मिला है।	08	05.33	40	34.67
	योग	150	100.00	150	100.00

शिक्षा से लाभ मिलने से संबंधित आंकड़े उत्तरदाताओं में शिक्षा के प्रति सकारात्मक मानसिकता को प्रकट करते हैं। ४१.३३ प्रतिशत हितग्राही तथा ३३.३३ प्रतिशत अहितग्राही उत्तरदाता यह मानते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने से उनमें स्वयं तथा समाज के प्रति जागरूकता बढ़ी है। साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनमें आत्मनिर्भरता, आत्मिक ऊर्जा और अस्तित्व का

बोध होने लगा है, जिसका कारण उनका पढ़ा लिखा होना है।

क्षेत्रीय अवलोकन के दौरान शोधकर्ता ने उत्तरदाताओं से बात करने पर अनुभव किया जो उनके आचरण से परिलक्षित हो रहा था। ३१.३३ प्रतिशत हितग्राही तथा २८.६७ प्रतिशत अहितग्राहियों ने यह माना कि शिक्षा के कारण उनमें निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। शिक्षा की व्यक्ति के जीवन को तार्किक बनाती है और अच्छे बुरे की समझ पैदा कर निष्पक्ष निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है।[7]

हितग्राही २२ प्रतिशत तथा १५.३३ प्रतिशत अहितग्राही उत्तरदाता सामाजिक प्रतिष्ठ में वृद्धि को स्वीकार करते हैं। आकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अध्ययनगत समूहों में शिक्षित होने के कारण शिक्षा से लाभान्वित होने की स्थिति व्यवहार में दृष्टिगत होती है। शेष ५.३३ प्रतिशत हितग्राही तथा २४.६७ प्रतिशत अहितग्राही उत्तरदाताओं ने शिक्षा से कोई विशेष लाभ न मिलने को स्वीकार किया। जिसके पीछे उनका अशिक्षित होना है, जिसे अगली तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

तालिका १.५

लाभ न मिलने का कारण

क्र.	अर्थ	हितग्राही		अहितग्राही	
		आवृति	प्रतिशत	आवृति	प्रतिशत
1.	शिक्षित न होना	05	62.25	04	10.00
2.	काम कैसे पूरा होगा	01	12.25	03	07.50
3.	निर्धनता	02	25.00	33	82.50
	योग	**08**	**100.00**	**150**	**100.00**

तालिका ५ के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं ने शिक्षा से विशेष लाभ न मिलने के कारणों में मुख्य कारण निर्धनता को माना है। २५ प्रतिशत हितग्राही तथा ८२.५ प्रतिशत अहितग्राही उत्तरदाता अपनी निर्धनता के कारण शिक्षा से लाभान्वित नहीं हो पाये।

अग्रवाल [8] अपने अध्ययन में गरीबी और निरक्षरता के बीच सकारात्मक संबंध पाया। हितग्राही ६२.२५ प्रतिशत तथा १० प्रतिशत अहितग्राही उत्तरदाताओं ने शिक्षित न होने के कारण शिक्षा से लाभान्वित न होने की स्थिति को स्वीकार किया।

शिक्षा ही चेतना व जागरूकता का विकास करती है, और अशिक्षित होना रूकावट पैदा

करती है। इस दिशा में साक्षरता कार्यक्रम भी चलाये गये, परन्तु कहीं न कहीं ग्रामीणों में व्याप्त सोच ही उन्हें साक्षर नहीं करवा पाई, क्योंकि ये वे परिवार हैं, जो दिन भर श्रम करते हैं या खेती के काम में लगे रहते हैं। इसलिए १२.२५ प्रतिशत हितग्राही और अहितग्राही ७.५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बिन्दु पर अपनी सहमति दी।

इन संस्थाओं के प्रति उदासीन मनोवृत्ति के कारण शिक्षा से स्वयं को जोड़ नहीं पाये, क्योंकि वे मानते हैं कि मानव की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें दिन रात श्रम में लगे रहना पड़ता है, इसलिए लाभ का मिलना दूर की बात है।

शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों द्वारा सम्पादित कार्य

ग्रामीण विकास की दिशा में शिक्षा और साक्षरता की स्थिति इतनी दयनीय है कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ वे नहीं उठा पा रहे हैं। संविधान के ४५वें अनुच्छेद में संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किया कि संविधान लागू होने के दस वर्षों के अंदर १४ वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दे दी जावेगी, परन्तु आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है, कि इस दिशा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट में हमारे देश के पिछड़ने का कारण निरक्षरता को ही माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली ग्रामीण जनता अभी भी स्वास्थ्य और भोजन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देश के सम्मुख १०० प्रतिशत साक्षरता लाने का लक्ष्य इतना विशाल है, कि उसकी पूर्ति के लिए बहुआयामी प्रयत्नों की आवश्यकता है।

गुन्नार मिर्डल [9] ने सही लिखा है - बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़ राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात निरर्थक मालूम होती है। अत: यह महती कार्य अकेले सरकार के प्रयत्नों से संभव नहीं है, इसमें अन्य संगठनों और उपलब्ध संस्थाओं की मदद लेना आवश्यक है। गैर सरकारी संस्थाएँ इस दिशा में सहायक हो रही हैं। अंजर उजमा [10] ने अपने पाकिस्तानी अध्ययन में पाया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ग्रामीणों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रही है। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों ने कम दरों पर ग्रामीण गरीबों के लिए स्कूला चला, विशेष रूप लड़कियों को शिक्षा हेतु उन्हें लाभान्वित किया है, जिसमें सरकारी स्कूलों से भी मदद प्राप्त हुई है।

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में 'मध्य भारत चेप्टर', 'संधान' तथा 'हर्बल प्लांट' नामक गैर सरकारी संगठनों ने 'नशा उन्मूलन' तथा 'साक्षरता कार्यक्रमों' के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, प्रभातफेरी का मंचन व आयोजन कर जनमानस को बदलने में उत्प्रेरक का काम किया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों तथा आंगनबाड़ी को प्रशिक्षण देने में भी इन संगठनों ने अपनी भागीदारी दी है।

कहीं ग्रामीणों में व्याप्त सोच
म करते हैं या खेती के काम
७.५ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने

यं को जोड़ नहीं पाये, क्योंकि
उन्हें दिन रात श्रम में लगे

इतनी दयनीय है कि सरकार
४५वें अनुच्छेद में संविधान
र १४ वर्ष की आयु के सभी
वलोकन से पता चलता है,
ारा जारी रिपोर्ट में हमारे देश
ास करने वाली ग्रामीण जनता
ा के सम्मुख १०० प्रतिशत
लिए बहुआयामी प्रयत्नों की

ो निरक्षर छोड़ राष्ट्रीय विकास
ार्य अकेले सरकार के प्रयत्नों
मदद लेना आवश्यक है। गैर
अपने पाकिस्तानी अध्ययन में
ाओं को पूरा करने में असफल
के लिए स्कूला चला, विशेष
ारी स्कूलों से भी मदद प्राप्त

था 'हर्बल प्लांट' नामक गैर
ति नुक्कड़ नाटक, प्रभातफेरी
या है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
अपनी भागीदारी दी है।

शिक्षा के अनौपचारिकेत्तर अभिकरणों के रूप में सामाजिक चेतना को विकसित करने, सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन से इन संगठनों ने लाभान्वितों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की है। जिन्हें तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

तालिका १.६

शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संपादित कार्य

क्र.	अर्थ	अहितग्राही	
		आवृति	प्रतिशत
1.	आंगनबाड़ी का प्रशिक्षण	30	33.33
2.	सरकारी योजनाओं की जानकारी	50	55.56
3.	सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन	10	11.11
	योग	**90**	**100.00**

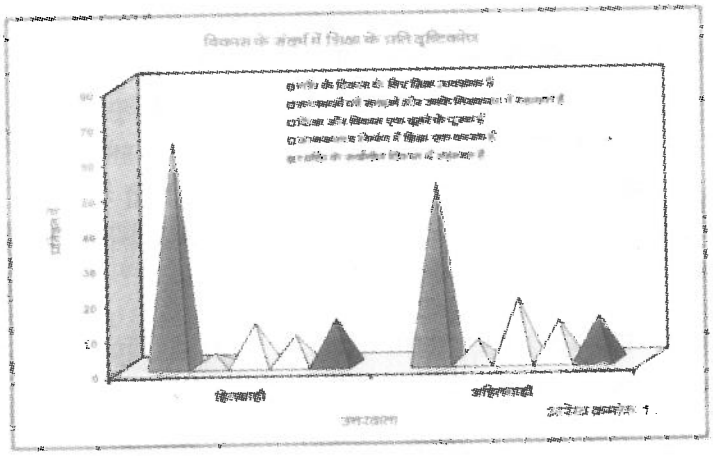

तालिका एवं वृत्त चित्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि ६० प्रतिशत हितग्राहियों ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा संपादित कार्यों पर अपनी राय दी है। ५५.५६ प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं, कि सरकारी योजनाओं की जानकारी इनसे मिली है। पवार[11] के अध्ययन के निष्कर्ष से इस बात की पुष्टि होती है। ३३.३३ प्रतिशत ने माना कि आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रशिक्षण देने का काम किया है। शेष ११.११ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में इनकी भागीदारी को माना है। विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि हितग्राहियों ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा इनके कार्यों

का लाभ उठाया है। शेष ४० प्रतिशत हितग्राही स्वयं को इन संगठनों द्वारा चयनित होने के बाद भी लाभान्वित नहीं मानते हैं।

तालिका १.७

संपादित कार्य के प्रति मनोवृत्ति

क्र.	मनोवृत्ति	अहितग्राही	
		आवृति	प्रतिशत
1.	संतुष्ट	69	76.67
2.	असंतुष्ट	—	—
3.	तटस्थ	21	23.33
	योग	**90**	**100.00**

शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों द्वारा संपादित कार्य के प्रति केवल ७६.६७ उत्तरदाताओं ने संतुष्ट मनोवृत्ति को व्यक्त किया है तथा २३.३३ प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इनके कार्यों के प्रति तटस्थता की मनोवृत्ति दर्शाई है। जो यह स्पष्ट कर रही है कि अध्ययन क्षेत्र में जितने भी कार्य एन.जी.ओ. द्वारा सम्पादित किए गये हैं, वे पूरी तरह लोगों को प्रभावित नहीं कर पाए हैं। शोधकर्ता का मानना है कि इसका कारण फॉलोअप की कमी है। आंकड़ों के संकलन के समय दो गैर सरकारी संगठनों ने अपना कार्य समाप्त कर दिया था, वर्तमान में केवल एक ही संगठन वहाँ कार्यरत है।

ग्रामीण शिक्षा के क्षत्र में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण से निम्न तथ्य निष्कर्ष के रूप में निकाले जा सकते है।

(१) उत्तरदाताओं में शिक्षा के अर्थ को लेकर भ्रमपूर्ण स्थिति है, डिग्री या उपाधि धारण करने को शिक्षा समझते हैं। साक्षरता व शिक्षा के बीच अंतर को स्पष्ट करने पर ही अपनी राय व्यक्त किये।

(२) अधिकांश उत्तरदाताओं ने विकास के संदर्भ में शिक्षा को गाँव के लिए आवश्यक माना है, जो उनके शिक्षा के प्रति रूझान को व्यक्त करता है।

(३) तीन चौथाई से अधिक उत्तरदाता शिक्षा प्राप्त कर स्वयं में तथा समाज के प्रति जागरूकता में वृद्धि कर लाभान्वित हुआ महसूस करते हैं।

(४) लाभान्वित न होने के कारण शेष उत्तरदाताओं ने स्वयं को अशिक्षित होना माना जबकि अहितग्राही उत्तरदाताओं ने निर्धनता के कारण स्वयं को लाभान्वित नहीं पाया।

(५) शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों द्वारा योजनाओं की जानकारी देने का कार्य किया गया जिसके प्रति उत्तरदाताओं ने अपनी संतुष्टि जाहिर की।

अवलोकन से यह बात भी स्पष्ट हुई कि इस तरह अध्ययनगत समूहों में शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों ने शासन की योजनाओं की जानकारी देने में केवल उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ जैसे नवगठित राज्य में गैर सरकारी संगठनों की सार्थक भागीदारी हेतु आवश्यक है कि उनकी कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुरावलोकन और नियोजन सही हो। जिन संस्थाओं ने ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी दी वे उतने सार्थक परिणाम नहीं दे पाये जितना कि आवश्यक था। उत्प्रेरक के साथ-साथ क्रियात्मक भूमिका के लिए गैर सरकारी संगठनों को स्वयं का मूल्यांकन करना होगा।

इस अध्ययन के निष्कर्ष इस बात को पुष्ट करते है कि दोनों तंत्र-सरकारी और गैर सरकारी, ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण विकास में समान रूप से भागीदार होने चाहिए। सरकारी प्रयासों की क्रियाशीलता तथा योजनाओं के सफल संचालन और ठोस परिणिति के लिए शासन के साथ उनके पूरक के रूप में गैर सरकारी संगठनों का योगदान और लोगों की भागीदारी ग्रामीण विकास के लक्ष्य को आयाम दे सकती है।

संदर्भग्रन्थ सूची -

1. Julious, Nyerere (1993) *सतत् शिक्षा नयी नीतियाँ और निर्देश* प्रकाशन, क्षेत्रीय कार्यालय, यूनेस्को।
2. Sills, David S. (1968), *"International Encylopaedia of Social Sciences"*, USA: The Macmillan Company and Free Press Inc.
3. News (2005) *Dainik Bhaskar,* May.
4. Gunnar, Myrdal, " *The Asian Drama".*
5. Malviya (2008), *प्रौढ़ शिक्षा के जरिये ग्रामीण महिलाओं का विकास* कुरूक्षेत्र, सितम्बर, PP 8-11.
6. Yadav, Anupama (2003) *शिक्षा का मूल अधिकार कितना वास्तविक रचना,* नवम्बर दिसम्बर, अंक 45, PP 11-12.
7. Pandey, Jitendra Kumar (2007) *भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार: दशा और दिशा* कुरूक्षेत्र सितम्बर, P. 7.

8. Agarwal, J.C. (1998) *भारत में प्रौढ़ शिक्षा* विद्याविहार, नई दिल्ली, P 90.
9. Gunnar, Myrdal, *The Asian Drama.*
10. Anzar, Uzma (2002), "*The NGO Sector in Pakistan Past, Present and Future"* United States publication.
11. Pawar, S.N. (2004) *NGOs and Development. The Indian scenario.*
12. Karale, Gangadhar (2008) *ग्रामीण विकास के लिए समन्वित प्रयास* कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, पेज नं. 321.
13. Pandey, P.N. (2000) *Gramin Vikas Avam Sanrachanatmak Parivartan*". Rawat Publications, New Delhi.
14. Singh, Ravishankar Kumar (2003) *"Role of NGos in Socio Economic, Development"* Abhijeet Publications, Delhi.
15. Raji, Shahin (2005), *Rural Development andVoluntary Organsation,* Classical publishing House, New Delhi P., 27.

❤❤❤